न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–17/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रमन पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला,
2. उदयसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला,
3. किशनी पत्नि गिर्राज जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. कुन्दन पुत्र नत्थी सिंह जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला,
2. अभय पुत्र नत्थी सिंह जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला,
3. सुनील पुत्र नत्थी सिंह जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला, तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.10.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने एक प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 253 रकबा 0.11 है0 ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी में सायलान का 4/9 हिस्सा तथा शेष हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण का है। गैर सायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का संबंध व सरोकार नही है।गैरसायलान जबरदस्त लोग हैं जो बिना किसी हक वो अधिकार के विवादित आराजी पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते है।गैरसायलान ने जबरन उक्त आराजी में लकडी फांसे डाल दिये तथा सायलान से कहा कि हम तुम्हें विवादित आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगे जबरन बेदखल कर कब्जा करेंगे। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नही है।यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपार हानि क्षति व

असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों से संभव नहीं है।प्रथमदृष्टया केस सुविधा का संतुलन एव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में साबित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायलान को ता–फैसला दावा पाबन्द किया जावे।

विद्वान तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र सायल दर्ज पंजिका की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि गैरसायलान अपने हक हिस्सा व घरू बंटवारे में आई आराजी पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं एवं सायलान को किसी तरह का नुकसान व क्षति नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 व नक्शा ट्रेस वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला की छायाप्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई।

विद्धान अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर सायल का प्रार्थना पत्र दि0 15.03.2017 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 15.03.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी ग्राम खेरली तर्फ रेला तह0 कठूमर में स्थित है । अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि गैरसायलान का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नही है। अपीलांट विवादित आराजी खसरा नंबर 253 के 4/9 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिनका मौके पर वास्तविक कब्जा है और उसी अनुसार विभाजन है । गैरसायलान का ना तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है न मौके पर कब्जा है। गैर सायलान ने तहत अदालत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह माना जा सकता हो कि विवादित आराजी का 50 साल पूर्व बंटवारा हुआ हो। बंटवारा के उपरान्त सैटलमेंट होने के दौरान उन्होंने अपने हिस्से में आई आराजी को अपने नाम दर्ज क्यों नही कराया। ऐसी अवस्था में गैरसायलान के बंटवारे के तथ्य नाकाबिल मान्य है। उक्त तर्कों के आधार पर अपील अपीलांट को स्वीकार करने का निवेदन किया।

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा कथन किया गया कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 में एक खसरा गिरदावरी खाता संख्या 41,86 पेश की है जो प्रार्थना पत्र 212 जबाब की ताईद करता है। खाता संख्या 41 खसरा संख्या 123, 124में से 36 एयर देकर बदले में खाता संख्या 86 खसरा संख्या 242 से 34 एयर लिया गया है जो 2 एयर कम थी तथा यह शेष 2 एयर खसरा संख्या 253 से ली गई है। वर्तमान में खसरा संख्या 253 में मकान बने हुये है।इसके 4 हिस्से हैं। गिरदावरी में यह भूमि पडत है। यद्यपि राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज नही है परन्तु कब्जा है। अपीलांट बेदखली का दावा करे।इस संदर्भ में उन्होने आर.आर.डी 1986 पेज 214 एवं आर.आर.डी 1986 पेज 632 पेश की।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पुनः कथन किया गया कि कब्जा अनधिकृत है, निर्णय का अधिकार नही है, एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट नही है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 15.03.2017 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया । विवादित आराजी ख0नं0 253 रकबा 0.11 है0 में सायलान का 4/9 व शेष तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा है। खसरा गिरदावरी जो आदेश 41 नियम 27 के द्वारा खसरा गिरदावरी 2078 रेकॉर्ड का भाग है, में उक्त भूमि का वर्गीकरण चाही है, परन्तु उसके कॉलम नं. 16, जोते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा पडत अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों में कोई भी दस्तावेज विपक्षी के आराजित से अन्य आराजीयात के विनिमय से संबंधित नही है। रेस्पो0 द्वारा अपने बहस जबाब में उनके द्वारा तहत अदालत में प्रस्तुत जबाब को दोहराते हुये पुनः मौखिक बंटवारे बाबत् कथन किया तथा उसी के अनुसार उनका कब्जा है, परन्तु रिकॉर्ड में एक्सचेंज नही है। उन्होंने उक्त विवादित आराजीयात के 02 एयर पर कब्जा करने का तथ्य बार–बार दोहराया तथा उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उनके कब्जे को विधि के प्रावधानों से ही बेदखल किया जा सकता है, अन्यथा नही।

अपील में मुख्य बिंदु यह देखना है कि वाद के समय वास्तविक कब्जा किसका है। अपीलांट अधिवक्ता का दौरान बहस कथन कि रेस्पो0 का अनधिकृत कब्जा है, रेस्पो0 के जबाब की स्वीकारोक्ति ही है। अपील रेस्पो0 द्वारा जो आर.आर.डी 1986 पेज 214 पेश की है वह इस प्रकरण पर चस्पा होती है क्यों कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करते समय यह देखा जाना होता है कि वाद के दिन प्रथमदृष्टया कब्जा किसका था? कब्जे के तथ्य के संदर्भ में रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत की बहस में तथा अपीलांट द्वारा भी बहस में रेस्पो0 का अनधिकृत कब्जा माना है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तहत अदालत के आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर